

प्रेषक

डा. शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज

आई०डी०ए०, स्कुडर रोड

पी० बी० नं०-3, भेल्लोर-632004

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	बादल सिंह पिता-विजय प्रसाद ग्राम-खाजपुरा, पी०एम०सी०-41 पो०-वी०भी० कालेज थाना-शास्त्रीनगर जिला-पटना सीएम०सी.एच-287263 जी०	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 80,000 /-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,000/- (अस्सी हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं० 387972 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-10404158238, खाता धारक का नाम- C.M.C.Vellore Association, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एस०बी०आई०, शाखा का नाम-भेल्लोर, टाउन ब्रांच (1618), RTGS/IFSC कोड सं०-SBIN 0001618 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्योरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387972 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।


ह0/-

ज्ञापांक 977(14)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

पटना, दिनांक 06.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / सभी संबंधित मरीजों को / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

अधीक्षक,
पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल एजुकेशन
एंड रिसर्च, चंडीगढ़ 160015

पटना, दिनांक.....

विषय:- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	चन्दन कुमार पिता-महेन्द्र राय ग्राम-पो0-कल्याणपुर थाना-विभुतीपुर जिला-समस्तीपुर सीआरनं0-201601683519	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,50,000 /-(दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
2	सुकेश कुमार गुप्ता पिता-स्व. जालेश्वर प्र० गुप्ता ग्राम-दुर्गा स्थाना कोलनी नं.-1 थाना-नगर पो0+जिला-कटिहार आरसीनं0-69746	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत।
3	आशा शर्मा पति-दहाड़ी शर्मा ग्राम-दानेवार कला पो0-शिवराजपुर थाना-योगापट्टी जिला-प० चम्पारण आरसीनं0-68498	गुर्दा प्रत्यारोपण रोग	₹ 2,00,000 /-(दो लाख) स्वीकृत।
			कुल ₹ 6,50,000 /-

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 6,50,000 /-(छः लाख पचास हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" चालु खाता सं० 30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387970 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10413583830 खाता धारक का नाम-"डायरेक्टर,पी०जी०आई० प्राइवेट ग्रान्ट ए०/सी०" खाते का प्रकार- चालु बैंक का नाम- एस० बी० आई०, शाखा का नाम- मेडिकल संस्थान शाखा सेक्टर-12, चंडीगढ़ RTGS/IFSC कोड सं० 01524 में अंतरित किया जाता है।



3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त "बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम" के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- 5 मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं0...387970...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह0/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

978(14)

पटना, दिनांक 06.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री तारा किशोर प्र0 स.वि. स0 कटिहार /सभी संबंधित मरीजों को/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.7.16

सं० सं० 14/एम 11-2/16
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डा. शशि रानी
प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में,

निदेशक,
संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान
राय बरेली रोड, लखनऊ, -226014

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	कलीमुल्लाह अंसारी पिता-अजीज मियां ग्राम-मझरीया पो०-धरगजवा थाना-शिकारपुर जिला प० चम्पारण सीआरनं०-2016401381	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	सावित्री देवी पति-सुरेश राम ग्राम-मलही, पो०-खजुरी थाना-कुचायकोट जिला-गोपालगंज सीआरनं०-2016160281	कैंसर रोग	₹ 1,00,000/- (एक लाख) स्वीकृत।
3	राज कुमारी देवी पति-गुप्तेश्वर प्रसाद सिंह ग्राम-बागमली पो०+थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली सीआरनं०-2016109216	कैंसर रोग	अंतिम बार ₹ 20,000/- (बीस हजार) स्वीकृत।
4	बिहारी कुमार पिता-योगेन्द्र प्रसाद ग्राम-नेमतुरी के टोला पो०-थाना-खैरा जिला-सारण सीआरनं०-2015802914	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत।
5	सतीश कुमार सिन्हा पिता-स्व. सुनील दत्त सिन्हा ग्राम-बलुआ टाल पो०-मोतिहारी, थाना-टाउन जिला-पूर्वी चम्पारण सीआरनं०-2015005491	गुर्दा प्रत्यारोपण	₹ 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) स्वीकृत।
			कुल ₹ 5,30,000/-



2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,30,000/-(पांच लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", चालु खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387983 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 10095237548 खाता धारक का नाम-"निदेशक, एस० जी० पी० जी० आई० एम० एस० पी०ई०डी० खाता" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- भारतीय स्टेट बैंक, शाखा का नाम-एस०जी०पी०जी०आई०,RTGS/IFSC कोड सं० SBIN0007789 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
5. मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। अनुप्रयुक्त (unutilised) राशि/यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि-शाखा संबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387983 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 979(14)

पटना, दिनांक 06.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / श्री खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद मंत्री गन्ना उ० विभाग / श्री जितेन्द्र कु० राय स.वि.स. मढौरा / श्री प्रमोद कुमार स०वि०स० मोतिहारी / सभी संबंधित मरीजों / आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

21.6.16

प्रेषक

डा शशि रानी

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

सेवा में

निदेशक

सर सुन्दर लाल हौस्पीटल

इंस्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंस

वाराणसी। -221005

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 22.6.16 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि
1	2	3	4
1	प्रमिला देवी पति कामेश्वर उपाध्याय ग्राम--पो०--पानापुर थाना--करगहर जिला--रोहतास एम०आरडीन०--196420	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
2	मोहित शर्मा पिता--राधेश्याम शर्मा ग्राम--कलानी पो०--ठकुरा थाना--रामगढ़ जिला--भभुआ, कैमुर एम०आरडीन०--38529	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
3	चिंता देवी पति--चन्द्रिका पाण्डेय ग्राम--खैरदा पो०--चैलाभार थाना--गडपैलीया जिला--पो चम्पारण ओ०पी०डी--7446 / 15	कैंसर रोग	₹ 80,000 /--(अस्सी हजार) स्वीकृत।
4	राज कुमार महतो पिता--महाराज महतो ग्राम--बेतिया बसंत पो०--भगवतीया थाना--कोटवा जिला--पूर्वी चम्पारण ओ०पी०डीन०--5995 / 16	कैंसर रोग	₹ 1,00,000 /--(एक लाख) स्वीकृत।

5	कैलाश देवी पति-वकील बैडा ग्राम-तुलसी पट्टी पो०+थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण एम आरडीनं०-173197	कैंसर रोग	₹ 80,000/- (अस्सी हजार) स्वीकृत ।
6	सावलिया राय पिता-पारस नाथ राय ग्राम-मेथवलीया पो०-चान चौरा थाना-मुफसिल जिला-रारण एम आरडीनं०-285664	हृदय रोग	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार) स्वीकृत ;
			कुल ₹ 5,45,000/-

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,45,000/- (पांच लाख पैंतालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, चालू खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 387981 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 1065 4904 24 (स्पेशल फण्ड/एकाउण्ट, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय), खाता धारक का नाम- कुल सचिव, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम- काशी हिन्दू विश्वविद्यालय,, RTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0000211 में अंतरित किया जाता है ।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा ।
- मरीज के चिकित्सोपराप्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय, तथा अनुपयुक्त (unutilised) राशि शीघ्र विभाग को वापस कर दी जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डा. शशि रानी)

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 387981 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय ।

ह०/-

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)

ज्ञापांक 976 (14)

पटना, दिनांक 06.07.16

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ श्री वशिष्ठ सिंह स०, वि०स०, बिहार विधान सभा पटना/ श्री सचिन्द्र प्र० सिंह स.वि.स० कल्याणपुर पता-ग्राम-फुलवरीया थाना-कल्याणपुर जिला-पूर्वी चम्पारण 845412/ श्री जितेन्द्र कु० राय स.वि.स. मढौरा पता-वीरचन्द्र पटेल पथ विधायक क्लब सं० 05,06,07,09/ सभी संबंधित मरीजों/आई.टी.मैनेजर , स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रभारी निदेशक प्रमुख (प्रशासन)
21.1.16